भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

सं. हिंदी विशेष-1/2026/9/1 **नई दिल्ली, दिनांक: .04.2026**

महाप्रबंधक (राजभाषा),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
सभी प्रशिक्षण संस्थान

विषय: मानदेय के आधार पर कार्यालयीन कार्य का हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद।
संदर्भ: रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का दिनांक 04.04.2019 का पत्र सं.हिंदी/20122/विशेष-1/9/1

कृपया उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन करें जिसमें रेलवे के मैनुअलों, संहिताओं, नियम पुस्तकों, नियमों, स्टेशन संचालन नियमों, तकनीकी साहित्य आदि के अनुवाद, परिशोधन और टंकण कार्य के लिए मानदेय की दरें निर्धारित की गई थी।

बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि रेलवे के मैनुअलों, संहिताओं, नियम पुस्तकों, नियमों, स्टेशन संचालन नियमों, तकनीकी साहित्य आदि के अनुवाद, परिशोधन और टंकण कार्य के लिए (अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी) देय पारिश्रमिक/मानदेय की वर्तमान दर 150/-रु. प्रति पृष्ठ से बढ़ाकर 300/- रु. प्रति मानक पृष्ठ (300 शब्द) कर दिया जाए, जिसमें अनुवाद, अनुवाद का परिशोधन एवं टंकण कार्य शामिल हैं।

जब किसी रेलवे/रेल कार्यालय को कोई अनुवाद कार्य मानदेय के आधार पर कराने की आवश्यकता पड़े तो उस रेलवे/रेल कार्यालय को उसके अपने वित्त की सहमति प्राप्त करनी जरूरी है।

मानदेय की ये संशोधित दरें इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू मानी जाएंगी।

यह पत्र रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
Vakkalanka Suguna
Date: 09-04-2026
09:43:10

(वी. सुगुणा)
निदेशक (राजभाषा)
रेलवे बोर्ड

सं. हिंदी विशेष-1/2026/9/1 **नई दिल्ली, दिनांक: .04.2026**

प्रतिलिपिः-

1. भारत के उपनियंत्रक और महालेखापरीक्षक (रेलें) को प्रेषित।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली.
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, प्रशिक्षण संस्थान
4. रेलवे बोर्ड की रोकड़-I, एफ(ई) II एवं ई.आर.बी III शाखाएं

Digitally signed by
Vikas Makhijani
Date: 09-04-2026
11:28:56

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड